

4.	श्री प्रतिभा रंजन सिन्हा, उप निदेशक	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम तथा अनुभवण 2. बिहार शिक्षा परियोजना महिला समाख्या से समन्वय संबंधी कार्य 3. बिहार शिक्षा परियोजना से संबंधित पत्रों का निष्पादन। 4. राजकीय बुनियादी विद्यालयों से संबंधित सभी कार्य एवं पेंशन / निम्न अवर शिक्षा सेवा/अवर शिक्षा सेवा का स्थापना से संबंधित कार्य। 5. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की स्थापना से संबंधित कार्य 6. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य। 	प्रशाखा 8 से संबंधित कार्य
5.	श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक	<ol style="list-style-type: none"> 1. निगरानी संबंधित कार्य 2. विधान मंडलीय सभी कार्य / समिति 3. सभी आयोगों से संबंधित कार्य (समान्य स्कूल प्रणाली आयोग को छोड़कर) 4. लोकायुक्त/सी0बी0आई0 से संबंधित मामला 5. शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान का कार्य 6. संयुक्त निदेशक को आवंटित कार्यों से सम्बन्धित कार्य के कनीय प्रभार 7. विभागीय बैठक एवं अन्य बैठक से संबंधित कार्यों का मुल्यांकन एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। 7. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य 	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से संबंधित प्रशाखा

1. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, उप निदेशक की अनुपस्थिति में श्री प्रतिभा रंजन सिन्हा, उप निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा। श्री प्रतिभा रंजन सिन्हा, उप निदेशक के अनुपस्थिति में श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, उप निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा।
2. श्री कमलेश झा, उप निदेशक की अनुपस्थिति में श्री राम सकल सिंह, उप निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा। श्री राम सकल सिंह, उप निदेशक के अनुपस्थिति में श्री कमलेश झा, उप निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा।
3. श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक की अनुपस्थिति में श्री राम सकल सिंह, उप निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा। श्री राम सकल सिंह, उप निदेशक के अनुपस्थिति में श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक द्वारा कार्यों का संपादन किया जायेगा।


 (आशुतोष)
 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा


ज्ञापांक - 322/11057, पटना, दिनांक- 27.06.2011/

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। चूंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित सभी उप निदेशक एवं सहायक निदेशक ने अपने-अपने नव पदस्थापित स्थानों में योगदान कर लिया है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कार्य की महत्ता को देखते हुए प्रधान सचिव के अनुपस्थिति में कार्य आवंटित किया गया है। प्रधान सचिव के मुख्यालय आने पर कृपया इस कार्य आवंटन आदेश पर घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर संसूचित करने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक :- 322/11057, पटना, दिनांक- 27.06.2011/

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव/निदेशक(प्रशासन)-सह-अपरे सचिव/संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/ संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
27/06/11


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
27/06/11

मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

कार्यालय आदेश

सर्व श्री सजीव सुमन, श्री अरुण कुमार शर्मा, श्री शिवनाथ प्रसाद उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के स्थानान्तरण उपरांत सर्व श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री ब्रजेश कुमार ओझा एवं श्री नारायण आर्य, उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा सर्व श्री लीलाकान्त मिश्र एवं श्री ओंकार प्रसाद सिंह, को सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के रूप में पदस्थापित किया गया है।

वर्गित परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापित उपनिदेशक / सहायक निदेशक के बीच कार्यो का बंटवारा निम्नवत किया जाता है:-

उप निदेशक का नाम	कार्यालय/प्रशाखा का नाम	आवटित कार्य
(1) श्री कृष्ण कुमार शर्मा, उपनिदेशक (मा०शिक्षा)	माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, लिपिक, आदेशपाल के स्थापना संबंधी कार्य। 2. परियोजना माध्यमिक विद्यालय संबंधी कार्य। 3. पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त शिक्षक से संबंधित कार्य। 4. प्रधानाध्यापकों (राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालय) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी कार्य। 5. याचिका अवमाननावाद का मॉनिटरिंग संबंधी कार्य। 6. राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कार्य। 7. राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय कर्मों के विरुद्ध प्राप्त आरोप से संबंधित कार्य। <p>➤ निदेशक द्वारा समय-समय पर आवटित कार्य।</p>
(2) श्री ब्रजेश कुमार ओझा, उपनिदेशक (मा० शिक्षा)	सचिवालय, प्रशाखा-09 एवं 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्य:- (क) अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक की स्थापना एवं व्यवसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण एवं सुदृढीकरण। 2. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् से संबंधित कार्य। 3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित कार्य। 4. अल्पसंख्यक विद्यालय से संबंधित कार्य। 5. सैनिक स्कूल से संबंधित कार्य। (अनुदान) 6. प्रशाखा 10 का शेष कार्य। 7. नवोदय विद्यालय से संबंधित कार्य। 8. कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित कार्य। 9. लोक सूचना पदाधिकारी 10. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना। <p>➤ निदेशक द्वारा समय-समय पर आवटित कार्य।</p>
(3) श्री नारायण आर्य, उपनिदेशक (मा०शिक्षा)	माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय कर्मों के सेवा निरन्तरता कालबद्ध/ए०सी०टी० प्रोन्नति एवं लेखा से संबंधित अन्य कार्य। 2. लेखा संबंधी कार्य 3. विधान मण्डल का कार्य।

4. अराजकीय माध्यमिक विद्यालय के अधिग्रहण, स्थापना प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण शाखा से संबंधित अन्य कार्य।
 > निदेशक द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य।

<p>(4) श्री अजीत कुमार, उप निदेशक (मा० शिक्षा)</p>	<p>सचिवालय स्थित प्रशाखा -11</p>	<p>1. नीतिगत मामले :- (क) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न नियमावली की संरचना (ख) वित्त रहित शिक्षा नीति/अन्यान्य। 2. राज्य योजना :- (क) भवनहीन विद्यालयों का भवन निर्माण। (ख) माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का उत्क्रमण। (शेष लगभग 166 विद्यालयों का योजना बनाना।) (ग) नालंदा, गोपालगंज अंतर्गत सैनिक विद्यालय। (घ) जमुई जिला अंतर्गत सिमुल्लतला एवं रोहतास अंतर्गत डेहरी आवासीय विद्यालय। (ङ) प्रोजेक्ट/आदर्श माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण। (च) बाह्य मूल्यांकन/अनुश्रवण। (छ) ग्रामीण आधारभूत संरचना (RIDF-11), भवन का निर्माण 13 जिलों में 380 विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण। (ज) छात्रवृत्ति योजना 3. केन्द्र प्रायोजित योजना :- (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। (i) EMIS (ii) अतिरिक्त कमरे। (iii) विभिन्न अनुदान। (iv) Pre. Project activity. (ख) आई०सी०टी० @ स्कूल। 4. अन्य कार्य :- (क) प्रशाखा 11 का सम्पूर्ण कार्य। (अवर शिक्षा सेवा पुरुष/महिला छोड़कर) (ख) संस्कृत विद्यालय एवं संस्कृत बोर्ड से संबंधित कार्य। (ग) माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालयध्यक्ष का नियोजन। (घ) विद्यालय सेवा बोर्ड। (ङ) अल्पसंख्यक विद्यालय। (च) पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर (छ) 12वां वित्त +2 विद्यालय (ज) टेक्स्टबुक एवं प्रेस (झ) शिक्षक संघ (ट) बी०एड० एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय > निदेशक द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य।</p>
<p>(5) श्री लीलाकान्त मिश्रा, सहायक निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)</p>	<p>माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना।</p>	<p>1. लोक सूचना। 2. कार्यालय स्थापना। 3. केन्द्रीय सर्वांग। > निदेशक द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य।</p>

(6) श्री ओंकार
प्रसाद सिंह,
सहायक निदेशक
(मा० शिक्षा)

सचिवालय,
प्रशाखा-09, 10
एवं 11

1. राज्य योजना/केन्द्र योजना :-

- (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
(i) मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण।
(ii) नया विद्यालय खोलना।
(ख) प्रण्डलीय मुख्यालय में शिक्षा भवन का निर्माण।
(ग) प्रत्येक प्रखण्ड में मॉडल स्कूल की स्थापना
(घ) शैक्षिक भ्रमण।
(ङ) माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण।
(च) माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण।
(छ) उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण।

2. केन्द्र प्रायोजित योजना :-

- (क) किशनगंज जिला अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण।
(ख) शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में अनु०जाति / अनु०जनजाति/अल्पसंख्यक/अति पिछड़ा वर्ग एवं बी०पी०एल० कोटि के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने से संबंधित योजना।
(घ) National Scheme of Incentive to Girl's for Secondary Education, Implementation regarding से संबंधित कार्य।
(ङ) inspire
(च) Girl's Hostel Central Scheme
(ज) मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना।

3. अन्य कार्य :-

- (क) अवर शिक्षा सेवा (पुरुष शाखा) महिला शाखा।
(ख) ICSE/CBSE की संबद्धता का अनापति प्रमाण-पत्र संबंधित कार्य।
(ग) मदरसा विद्यालय एवं मदरसा बोर्ड से संबंधित कार्य।
> निदेशक द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य।

उपनिदेशक/सहायक निदेशक के अनुपस्थिति में उनके नाम के सामने अंकित उपनिदेशक /सहायक निदेशक दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

उपनिदेशक/सहायक निदेशक का नाम	उपनिदेशक/सहायक निदेशक का नाम जो संबंधित के अनुपस्थिति में उनके दैनिक कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
श्री ब्रजेश कुमार ओझा	श्री अजीत कुमार
श्री ओंकार प्रसाद सिंह	श्री ब्रजेश कुमार ओझा
श्री अजीत कुमार	श्री ओंकार प्रसाद सिंह
श्री कृष्ण कुमार शर्मा	श्री नारायण आर्या
श्री नारायण आर्या	श्री लीलाकान्त मिश्रा
श्री लीला कान्त मिश्रा	श्री कृष्ण कुमार शर्मा

ह०/-

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार, पटना

ज्ञापक : 1375 /

पटना, दिनांक : 29.6.11

प्रतिलिपि :- सभी उप निदेशक, (मा०शि०)/सहायक निदेशक, (मा०शि०)/प्रशाखा पदाधिकारी, (09, 10 एवं 11)/स्थापना-क एवं सभी प्रशाखा प्रभारी, बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वायार्थ प्रेषित।

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार, पटना

पत्रांक- 271/संको० दि० 27/06/2011
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
कार्यालय आदेश
(उच्च शिक्षा)

मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग में पदस्थापित उप निदेशकों के बीच उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों के त्वरित एवं सफल निष्पादन हेतु निम्नांकित कार्य पत्र निर्गत की तिथि से आवंटित किए जाते हैं। इनके कार्य का स्वरूप निम्न प्रकार होगा:-

1. न्यायालयीय वादों, तथ्य विवरणी, प्रतिशपथ पत्र इत्यादि तैयार कराना एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।
2. पत्रों/संचिकाओं का निष्पादन, प्रतिवेदन तैयार करना औरकोई विकासात्मक कार्य, आवंटन के अनुसार अंकेक्षण संबंधी कार्य।
3. विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कराना।
4. प्रशाखा एवं सरकार के स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
5. संसूचित कार्य के अनुसार सूचना के अधिकार संबंधी कार्य।
6. निदेशक को प्रतिवेदित करना और निदेशक के माध्यम से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. विधान मंडल संबंधी कार्य
8. सचिव द्वारा दिये गये अन्य कार्य।

श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय, उप निदेशक, उच्च शिक्षा

1. टी०एम० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
2. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
3. पटना विश्वविद्यालय, पटना
4. विघटित संस्थान यथा- बिहार अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, कॉलेज सेवा आयोग एवं विश्वविद्यालय सेवा आयोग
5. संबद्ध (वित्त सहित) महाविद्यालयों से संबंधित कार्य

श्री नयन रंजन प्रसाद वर्मा, उप निदेशक, उच्च शिक्षा

1. मगध विश्वविद्यालय, बोध गया
2. का०सिंह०द० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
3. बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
4. प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली
5. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद



श्रीमती माया रानी पॉल, उप निदेशक, उच्च शिक्षा

1. चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना
2. मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय
3. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार, पटना
4. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना
5. राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग
6. राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग
7. बिहार संस्कृत अकादमी
8. भोजपुरी अकादमी
9. बिहार मगही अकादेमी, पटना
10. बिहार मैथिली अकादमी, पटना
11. बिहार बांग्ला अकादेमी, पटना
12. दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना
13. बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
14. अरबी फारसी शोध संस्थान, पटना


श्री दीपक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी

1. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
2. चाणक्या विधि विश्वविद्यालय, पटना
3. नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा
4. ललित नारयण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना
5. केन्द्र सरकार से संबंधित पत्रों का निष्पादन
6. विकास संबंधी कार्य
7. नये संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्थापना
8. अधिनियमों में संशोधन।


(एस० शिव कुमार)
सचिव

ज्ञापांक 271/स०को० पटना, दिनांक 27/06/2011
प्रतिलिपि:

प्रधान सचिव/विशेष सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी संयुक्त सचिव/माननीय
मंत्री के आप्त सचिव/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी अवर सचिव/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं 15 को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

पत्रांक- 282/स०को०

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

कार्यालय आदेश

(उच्च शिक्षा)

अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 271/स०को०, दिनांक 27.06.2011 द्वारा किये गये कार्य आवंटन संबंधी आदेश का कृपया स्मरण करें। सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा को मूल रूप से आवंटित कार्यों का संपादन करना है। किन्तु विभागीय कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्न रूप से नोडल पदाधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं:-

1. श्री रवि भूषण सहाय- आवंटित कार्यों के अतिरिक्त विधि संबंधी कार्यों के नोडल पदाधिकारी का कार्य करेंगे। वे अन्य पदाधिकारियों से संपर्क कर उनसे संबंधित विधिक कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।
2. श्री नयन रंजन प्रसाद वर्मा, उप निदेशक, उच्च शिक्षा- आवंटित कार्यों के अतिरिक्त अकंक्षण एवं लोक लेखा समिति संबंधी कार्यों के नोडल पदाधिकारी होंगे।
3. श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डेय, उप निदेशक, उच्च शिक्षा-आवंटित कार्यों के अतिरिक्त विधानमंडलीय कार्य एवं उपस्थिति संबंधी कार्यों के नोडल पदाधिकारी होंगे।
4. श्री सुशील श्रीवास्तव, उप निदेशक, उच्च शिक्षा- आवंटित कार्यों के अतिरिक्त लोक सूचना एवं जन शिकायत संबंधी कार्यों के नोडल पदाधिकारी होंगे।
5. श्रीमती माया रानी पॉल, उप निदेशक, उच्च शिक्षा- आवंटित कार्यों के अतिरिक्त योजना एवं विकास संबंधी कार्यों के सामान्य अनुश्रवण एवं नोडल पदाधिकारी होंगी।
6. श्री अरविन्द कुमार शर्मा, संपर्क पदाधिकारी- माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी मामलों, (1) बजट एवं बजट संबंधी मामलों (2) विश्वविद्यालयों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मामलों (3) विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार (4) रेशनलाइजेशन संबंधी मामले एवं अन्य मामले उनके द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

उपर पदाधिकारियों के नाम के साथ अंकित कार्य नोडल पदाधिकारी के रूप में करना है। उप निदेशक के रूप में आवंटित कार्य के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी का कार्य करेंगे। अर्थात् Laterally and Horizontally नोडल पदाधिकारी का कार्य करेंगे।

ह०/

(एस० शिव कुमार)

सचिव

ज्ञापांक 282/स०को०
प्रतिलिपि:

पटना, दिनांक 29/06/2011

प्रधान सचिव/विशेष सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी संयुक्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14 एवं 15 को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

29/06/11

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग।
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक - 16/08/11

संख्या- 13/स्था 15-12/06 1487 / जन शिक्षा निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को विलोपित करते हुए उनके बीच निम्नलिखित रूप में कार्य आवंटित किया जाता है -

क्र०	पदाधिकारी के नाम	विषय
1.	श्रीमती प्रभावती कुमारी संयुक्त निदेशक, जन शिक्षा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. बजट लेखा एवं योजना तथा साक्षर भारत सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी कार्य। 2. विधानमंडल/संसदीय कार्य। 3. मुद्रण एवं प्रकाशन। 4. मकान भाडा से संबंधित कार्य। 5. अंकेक्षण- जिला जन शिक्षा कार्यालय से संबंधित। 6. योजना से संबंधित कार्य। 7. सूचना का अधिकार, लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित कार्य। 8. अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्य (कोर्ट केस सहित)
2.	श्री संजय कुमार उप निदेशक, जन शिक्षा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. बजट लेखा एवं योजना तथा साक्षर भारत सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी कार्य। 2. राज्य संसाधन केन्द्र एवं जन शिक्षण संस्थान से संबंधित कार्य। 3. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान/साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम की स्वीकृति, मोनेटरिंग एवं मूल्यांकन। 4. राज्य संसाधन केन्द्र एवं जन शिक्षण संस्थान से संबंधित कार्य।
3.	श्री सच्चिदानंद प्रसाद सहायक निदेशक, जन शिक्षा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. बीस सूत्री/मासिक/विभागीय बैठक से संबंधित कार्य। 2. अंकेक्षण। 3. मकान भाडा से संबंधित कार्य। 4. विधान मंडल एवं संसदीय कार्य। 5. रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। 6. अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्य (कोर्ट केस सहित) 7. प्रेरणा कार्यक्रम।
4.	श्री विजय कुमार मिश्र सहायक निदेशक, जन शिक्षा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्थापना (कोर्ट केस सहित)। 2. बजट एवं लेखा से संबंधित कार्य (गैर योजना का)। 3. निदेशालय का स्टाफ कार, फोन, फैक्स, कम्प्यूटर, लेखन सामग्री की आपूर्ति से संबंधित कार्य। 4. जन शिकायत, मुख्यमंत्री जनता दरबार से

	संबंधित कार्य, विभागीय साप्ताहिक बैठक से संबंधित।
	5. सूचना का अधिकार संबंधी कार्य।

सभी पदाधिकारी उपर्युक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर निदेशक द्वारा आदेशित विविध कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

2. संबंधित सहायक निदेशक जिनसे संबंधित कार्य संयुक्त निदेशक/उप निदेशक को आवंटित की गयी हैं वे संयुक्त निदेशक/उप निदेशक के माध्यम से संबंधित सचिका निदेशक को उपस्थापित करेंगे तथा जो विषय संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक को आवंटित नहीं है, उस विषय से संबंधित सचिका सहायक निदेशक द्वारा सीधे निदेशक को उपस्थापित की जायेगी। उप निदेशक को आवंटित कार्यों से संबंधित सचिका उप निदेशक द्वारा संयुक्त निदेशक के माध्यम से निदेशक को उपस्थापित की जायेगी।
3. संयुक्त निदेशक की अनुपस्थिति में सचिकाये उप निदेशक के माध्यम से तथा उप निदेशक की अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक के माध्यम से निदेशक को उपस्थापित की जायेगी।
4. श्री विजय कुमार मिश्र, सहायक निदेशक की अनुपस्थिति में दैनिक कार्यों का निष्पादन श्री सच्चिदानंद प्रसाद, सहायक निदेशक के माध्यम से तथा श्री सच्चिदानंद प्रसाद, सहायक निदेशक अनुपस्थिति में श्री विजय कुमार मिश्र, सहायक निदेशक द्वारा की जायेगी।
5. निदेशक, जन शिक्षा की अनुपस्थिति में दैनिक कार्यों का निष्पादन संयुक्त निदेशक के स्तर से की जायेगी।
6. निदेशालय की सारी सचिकाएँ प्रशाखा पदाधिकारी के माध्यम से उपस्थापित की जाएँगी। प्रशाखा पदाधिकारी के अनुपस्थिति में कार्यवाह सहायक/संख्यिकी एवं मूल्यांकन पर्यवेक्षक संबंधित पदाधिकारी को सीधे सचिका उपस्थापित करेंगे।
यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(विनोद कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव।
पटना, दिनांक : 16/08/11

ज्ञापक 16/8/11

प्रतिलिपि - जन शिक्षा निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव।